113

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

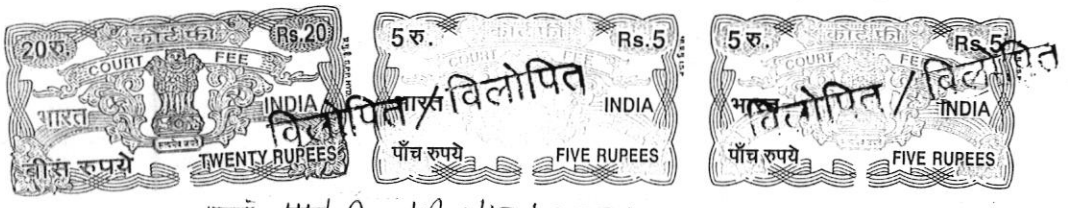

प्रकरण क्रमांक 111/निग/रीवा/17/2526

1— विनायक प्रसाद ब्रा0 उम्र 54 वर्ष तनय श्री मंगलेश्वर प्रसाद

2— रामचरण ब्रा0 उम्र 44 वर्ष तनय श्री मंगलेश्वर प्रसाद

3— मंगलेश्वर प्रसाद, उम्र 84 वर्ष, तनय श्री देवनारायण ब्रा0
सभी निवासी ग्राम डिहिया पोस्ट जुडमनिया, थाना नईगढ़ी, तह0 मऊगंज, जिला रीवा म0प्र0

——————————आवेदकगण /पुनरीक्षणकर्ता

बनाम्

बृन्दावन तनय मंगलेश्वर प्रसाद ब्रा0 उम्र 62 वर्ष, निवासी ग्राम भुवरी, थाना लौर, तह0 मऊगंज जिला रीवा म0प्र0

——————अनावेदक / गैरपुनरीक्षणकर्ता

राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू—राजस्व संहिता 1959 के विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी तह0 हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

प्रकरण कमांक 93/अ6—अ/16—2017 में पारित आदेश दिनांक 14.07.2017

मान्यवर

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारो पर प्रस्तुत है :—

1— अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 14.07.2017 सर्वथा विधि विधान एवं न्यायिक प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

2— अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल रूप से मामला इस बिन्दु पर निहित था कि जो अनावेदक ने भूमि नं0 45, 46, 47, 48, 50, 44/1, स्थित ग्राम भुवरी, तह0 मऊगंज, जिला रीवा म0प्र0, के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक तीन–निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/2526 जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9/3/18	निगरानी की प्रचलनशीलता पर उंभय पक्ष के अभिभाषकों को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 93 अ 6 अ/16–17 में पारित आदेश दिनांक 14–7–17 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के कम में अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के आदेश दिनांक 14–7–17 के अवलोकन पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 14–7–17 से इस प्रकरण का निर्णय लिया है :– " प्रकरण में उत्तरवादी के व्दारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वाद भूमि से संबंधित प्रकरण सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसे वापिस ले लिया गया है। इससे प्रकरण धारा 113 के अंतर्गत विचारण योग्य नहीं है। जबकि अभिलेख संबंधी कोई त्रृटि नहीं है। अपीलार्थी व्दारा जवाब पेश किया गया है कि वाद भूमि में स्वत्व संबंधी कोई विवाद ही नहीं था, खसरे में गलत ढंग से नाम दर्ज किया गया है। वाद भूमि में आवेदक का कब्जा दखल भी है, इस कारण अंतरिम आवेदन निरस्त किया जाय। प्रचलनशीलता के आवेदन पर उभय पक्ष को सुना गया। विचारोपरांत पाया जाता है कि प्रकरण में कई प्रकियाओं से गुजर चुका है। अनावेदक व्दारा प्रचलनशीलता पर जो बात बताई गई है वह वर्तमान प्रकिया में विचारण योग्य नहीं है। अतः अनावेदक का प्रचलनशीलता पर प्रस्तुत आपत्ति खारिज की जाती है। प्रकरण उभय पक्ष के अंतिम तर्क हेतु पूर्व से नियत था। प्रकरण अंतिम तर्क हेतु।" आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अंतिम तर्क न करत	

हुये अनुविभागीय अधिकारी के उक्तानुसार अंतरिम आदेश के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत की है । विचासधीन निगरानी के तथ्यों एंव अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 93 अ 6 अ / 16–17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 14–7–17 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदकगण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण का अंतिम निरारण होने देने के पक्ष में नहीं है । आवेदकगण व्दारा अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा के के समक्ष अंतिम तर्क एंव बचाव प्रस्तुत न करते हुये इस न्यायालय में निगरानी करके प्रकरण को लम्बित बनाये रखना चाहते है। उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से निगरानी सारहीन है जो इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य